कार्यालय उपनिदेशक(माध्यमिक)शिक्षाविभाग,कोटा

–:: कार्यालय–आदेश::–

राजस्थान अधीनस्थ शिक्षा सेवा नियम,1971 के नियम 25 के प्रावधानान्तर्गत गठित विभागीय पदोन्नति समिति की अभिशंषानुसार शिड्युल प्रथम के सेक्शन (एफ) द्वितीय वेतन श्रृंखला के **वरिष्ठ अध्यापक (विशेष शिक्षा)**के पदो पर संलग्न सूची में अध्यापको को **डीपीसी वर्ष 2018–19** की रिक्तियो के विरूद्ध चयनित किये जाने पर चयनित वर्ष/कार्यग्रहण करने की तिथि से राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम–2017 के अनुसार पे–मेट्रिक्स लेवल–11 में राज्य सरकार के स्वीकृत पदो पर पदोन्नत कर उनके नाम के आगे अंकित विद्यालयो मे पदस्थापित किया जाता है। यदि पाते वेतन पर कार्यरत कार्मिक अपने वर्तमान पदस्थापित स्थान पर ही कार्यरत है तो भी पदोन्नति पर कार्यग्रहण की सूचना आवश्यक रूप से भिजवायी जावे ।

पदोन्नति पर पदस्थापित स्थान पर इन्हे **दिनांक 20.09.2018** तक कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा उक्त दिनांक तक कार्यग्रहण नही करने पर यह आदेश स्वतः ही निरस्त माना जाकर पदोन्नति परित्याग माना जायेगा।

संबंधित संस्था प्रधानो का निर्देशित किया जाता है कि पदोन्नति कार्मिको को निर्धारित तिथि तक पदोन्नति पर कार्यग्रहण करने हेतु यथासमय अनिवार्य रूप से कार्यमुक्त करे । यदि पदोन्नत कार्मिक पदोन्नति ग्रहण नही करना चाहता है तो संबंधित कार्मिक से लिखित में पदोन्नति परित्याग करने का आवेदन पत्र प्राप्त कर अग्रेषण सहित स्थानीय कार्यालय को स्वीकृति हेतु दिनांक 24.09.2018 तक अनिवार्यतः भिजवा दे तथा संबंधित कार्मिक की सेवापुस्तिका में पदोन्नति परित्याग करने का अनिवार्यतः इन्द्राज करें।

1–राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ–7(1)/डीओपी/ए–11/95 दिनांक 20.06.01 के प्रावधानानुसार दिनांक 01.06.02 को या उसके पश्चात् दो से अधिक संतान नही होने का स्वप्रमाणित शपथ पत्र प्राप्त करे।

2–आदेश में वर्णित सभी प्रविष्टियो के सत्यापन पश्चात् ही कार्मिक को कार्यमुक्त किया जावे। अन्यथा तत्काल इस कार्यालय को सूचित करे ।

यदि संबंधित कार्मिक के विरूद्व विभागीय जॉच चल रही है/निलम्बित हो /न्यायालय स्थगन से कार्यरत हो तो उनको कार्यमुक्त नही किया जावे, एवं संबंधित नियंत्रण अधिकारी रजिस्टर्ड डाक से इस संबंध में इस कार्यालय को सूचित करेगे । जो कार्मिक बीएलओ नियुक्त है,उन्हे मतदाता सूचियो के पुनरीक्षण कार्यक्रम की समाप्ति दिनांक 27.09.18 के उपरान्त ही कार्यमुक्त किया जावे।

यह पदोन्नति आदेश एतद् विषयक माननीय उच्च न्यायालय में लम्बित विभिन्न याचिकाओ व डी.बी. सिविल स्पेशल अपील (रिट) 318/16 मे प्रदत्त अंतरिम आदेश व अंतिम निर्णय के अध्यधीन रहेगे ।

संलग्न सूची में अंकित कार्मिको को आदेश तामिल करवाने की समस्त जिम्मेदारी संबंधित संस्था प्रधान/कार्यालयाध्यक्ष की रहेगी। यदि इनका कार्यरत स्थान परिवर्तित हो गया हो तो इनके परिवर्तित /वर्तमान कार्यरत स्थान पर उक्त आदेश तामिल करवाया जावे।

संबंधित संस्थाप्रधान इनकी कार्यमुक्ति/कार्यग्रहण की सूचना तत्काल इस कार्यालय एवॅ संबधित जिशिअ कार्यालय को प्रस्तुत करेंगे ।

(रामस्वरूप)
उपनिदेशक(माध्यमिक)
शिक्षाविभाग,कोटा

क्रमांकः उनिमाशि/को/संस्था–3(20307)2018/ 408
दिनॉकः 14.09.18

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवॅ आवश्यक कार्यवाही हेतु–

1– सचिव,राजस्थान लोक सेवा आयोग,अजमेर
2– विशिष्ठ सहायक,माननीय शिक्षामंत्री महोदय,राजस्थान,जयपुर
3– निदेशक,माध्यमिक/प्रारंभिक शिक्षा,राजस्थान–बीकानेर
4– आयुक्त राजस्थान माध्यमिक शिक्षा अभियान राज0जयपुर
5– उपनिदेशक ,प्रारंभिक शिक्षा, कोटा
6– जिला शिक्षा अधिकारी(माध्यमिक/प्रारंभिक)कोटा/बून्दी/बॉरा/झालावाड
7– संबंधित ब्लॉक शिक्षा अधिकारी/संस्था प्रधान/संबंधित अध्यापक
8– वरिष्ठता अनुभाग,स्थानीय कार्यालय/रक्षित पत्रावली

उपनिदेशक(माध्यमिक)
शिक्षाविभाग,कोटा

कार्यालय उपनिदेशक (माध्यमिक) शिक्षा विभाग,कोटा

क्रमांक : 408 दिनांक 14.09.2018 विषय : वरिष्ठ अध्या.विशेष शिक्षा

क्रसं.	मण्डल वरि क्रमांक	अवधि	डीपीसी चयन वर्ष	नाम कार्मिक	वर्ग	वर्तमान पदस्थापन स्थान	जिला	जन्म तिथि	वअ पद पर पदोन्नति पर पदस्थापन स्थान	जिला
1	1660	2007-10	2018-19	भंवरलाल मीणा	अजजा	बीआरसी डग	झालावाड़	02-07-80	राउमावि अलोद ,हिण्डोली	बून्दी
2	103.1	2010-12	2018-19	मोहिनी तिवारी		उप्रावि अस्तोली बून्दी	बून्दी	23-09-76	राउमावि गुढानाथावतान,बून्दी	बून्दी
3	690	2012-13	2018-19	राजेन्द्र प्रसाद चतुर्वेदी		एसएसए बांरा	बारां	01-07-84	राउमावि अन्ता	बारां
4	1819	2012-13	2018-19	पंकज शर्मा		एसएसए के.पाटन	बून्दी	03-01-86	राउमावि लाखेरी,के. पाटन	बून्दी

(रामस्वरूप) 14-9-18

उपनिदेशक(माध्यमिक)

शिक्षा विभाग,कोटा

कार्यालय उपनिदेशक(माध्यमिक)शिक्षाविभाग,कोटा

–:: कार्यालय–आदेश::–

राजस्थान अधीनस्थ शिक्षा सेवा नियम,1971 के नियम 25 के प्रावधानान्तर्गत गठित विभागीय पदोन्नति समिति की अभिशंषानुसार शिड्युल प्रथम के सेक्शन (एफ) द्वितीय वेतन श्रृंखला के **वरिष्ठ अध्यापक (सामान्य/हेडटीचर)** के पदो पर संलग्न सूची में अध्यापको को **डीपीसी वर्ष 2018–19** की रिक्तियो के विरूद्ध चयनित किये जाने पर चयनित वर्ष/कार्यग्रहण करने की तिथि से राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम–2017 के अनुसार पे–मेट्रिक्स लेवल–11 में राज्य सरकार के स्वीकृत पदो पर पदोन्नत कर उनके नाम के आगे अंकित विद्यालयो मे पदस्थापित किया जाता है। यदि पाते वेतन पर कार्यरत कार्मिक अपने वर्तमान पदस्थापित स्थान पर ही कार्यरत है तो भी पदोन्नति पर कार्यग्रहण की सूचना आवश्यक रूप से भिजवायी जावे ।

पदोन्नति पर पदस्थापित स्थान पर इन्हे **दिनांक 20.09.2018** तक कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा उक्त दिनांक तक कार्यग्रहण नही करने पर यह आदेश स्वतः ही निरस्त माना जाकर पदोन्नति परित्याग माना जायेगा।

संबंधित संस्था प्रधानो का निर्देशित किया जाता है कि पदोन्नति कार्मिको को निर्धारित तिथि तक पदोन्नति पर कार्यग्रहण करने हेतु यथासमय अनिवार्य रूप से कार्यमुक्त करे । यदि पदोन्नत कार्मिक पदोन्नति ग्रहण नही करना चाहता है तो संबंधित कार्मिक से लिखित में पदोन्नति परित्याग करने का आवेदन पत्र प्राप्त कर अग्रेषण सहित स्थानीय कार्यालय को स्वीकृति हेतु दिनांक 24.09.2018 तक अनिवार्यतः भिजवा दे तथा संबंधित कार्मिक की सेवापुस्तिका में पदोन्नति परित्याग करने का अनिवार्यतः इन्द्राज करें।

1–राज्य सरकार की अधिसूचना कमांक एफ–7(1)/डीओपी/ए–11/95 दिनांक 20.06.01 के प्रावधानानुसार दिनांक 01.06.02 को या उसके पश्चात् दो से अधिक संतान नही होने का स्वप्रमाणित शपथ पत्र प्राप्त करे।

2–आदेश में वर्णित सभी प्रविष्टियो के सत्यापन पश्चात् ही कार्मिक को कार्यमुक्त किया जावे। अन्यथा तत्काल इस कार्यालय को सूचित करे ।

यदि संबंधित कार्मिक के विरूद्व विभागीय जॉच चल रही है/निलम्बित हो /न्यायालय स्थगन से कार्यरत हो तो उनको कार्यमुक्त नही किया जावे, एवं संबंधित नियंत्रण अधिकारी रजिस्टर्ड डाक से इस संबंध में इस कार्यालय को सूचित करेगे । जो कार्मिक बीएलओ नियुक्त है,उन्हे मतदाता सूचियो के पुनरीक्षण कार्यक्रम की समाप्ति दिनांक 27.09.18 के उपरान्त ही कार्यमुक्त किया जावे।

यह पदोन्नति आदेश एतद् विषयक माननीय उच्च न्यायालय में लम्बित विभिन्न याचिकाओ व डी.बी. सिविल स्पेशल अपील (रिट) 318/16 मे प्रदत्त अंतरिम आदेश व अंतिम निर्णय के अध्यधीन रहेगे ।

संलग्न सूची में अंकित कार्मिको को आदेश तामिल करवाने की समस्त जिम्मेदारी संबंधित संस्था प्रधान/कार्यालयाध्यक्ष की रहेगी। यदि इनका कार्यरत स्थान परिवर्तित हो गया हो तो इनके परिवर्तित /वर्तमान कार्यरत स्थान पर उक्त आदेश तामिल करवाया जावे।

संबंधित संस्थाप्रधान इनकी कार्यमुक्ति/कार्यग्रहण की सूचना तत्काल इस कार्यालय एवॅ संबधित जिशिअ कार्यालय को प्रस्तुत करेंगे ।

(रामस्वरूप)
उपनिदेशक(माध्यमिक)
शिक्षाविभाग,कोटा
दिनॉकः 14.09.18

कमांकःउनिमाशि/को/संस्था–3(20307)2018/407
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवॅ आवश्यक कार्यवाही हेतु–

1– सचिव,राजस्थान लोक सेवा आयोग,अजमेर
2– विशिष्ठ सहायक,माननीय शिक्षामंत्री महोदय,राजस्थान,जयपुर
3– निदेशक,माध्यमिक/प्रारंभिक शिक्षा,राजस्थान–बीकानेर
4– आयुक्त राजस्थान माध्यमिक शिक्षा अभियान राज0जयपुर
5– उपनिदेशक ,प्रारंभिक शिक्षा, कोटा
6– जिला शिक्षा अधिकारी(माध्यमिक/प्रारंभिक)कोटा/बून्दी/बॉरा/झालावाड
7– संबंधित ब्लॉक शिक्षा अधिकारी/संस्था प्रधान/संबंधित अध्यापक
8– वरिष्ठता अनुभाग,स्थानीय कार्यालय/रक्षित पत्रावली

14.9.18
उपनिदेशक(माध्यमिक)
शिक्षाविभाग,कोटा

कार्यालय उपनिदेशक (माध्यमिक) शिक्षा विभाग,कोटा

क्रमांक : 407 दिनांक 14.09.18

विषय : वरिष्ठ अध्यापक (सामान्य)

क्रसं.	मण्डल वरि क्रमांक	अवधि	डीपीसी चयन वर्ष	नाम अध्यापक	वर्ग	वर्तमान पदस्थापन स्थान	जिला	जन्मतिथि	वअ पद पर पदोन्नति पर पदस्थापन स्थान	जिला
1	1432	88-98	2018-19	नसरीन फातमा		बामावि ईश्वरनगर, के.पाटन, बून्दी	बून्दी	01-12-71	प्रअ–राउप्रावि झरनिया की झोपडिया के.पाटन	बून्दी
2	1433	88-98	2018-19	हिमानी शर्मा		उमावि जमीतपुरा, बून्दी	बून्दी	21-04-65	प्रअ–राउप्रावि बृजनगर,सांगोद	कोटा
3	1435	88-98	2018-19	अल्का शर्मा		उमावि चतरगंज, हिण्डोली	बून्दी	04-11-68	प्रअ–राउप्रावि दांता,हिण्डोली	बून्दी
4	1460	88-98	2018-19	सरिता सिसोदिया		उमावि सुभाषनगर, कोटा	कोटा	22-07-73	प्रअ–राउप्रावि गुढाबरड,तालेडा	बून्दी
5	3611	88-98	2018-19	बालचन्द पाटीदार		उमावि कडोदिया,सुनेल, झालावाड	झालावाड	26-11-64	प्रअ–राबाउप्रावि दुबलिया, सुनेल	झालावाड
6	3627	88-98	2018-19	गणेश नारायण शर्मा		उमावि नारायणखेडा, भवानीमण्डी	झालावाड	10-06-64	प्रअ–राउप्रावि गंगधार, डग	झालावाड
7	3647	88-98	2018-19	बालचंद मेवाडा		रामावि सांकरिया ,डग	झालावाड	15-09-65	प्रअ–राउप्रावि गुणदी, खैराबाद	कोटा
8	3658	88-98	2018-19	अब्दुल शरीफ		उमावि खण्डी, खानपुर	झालावाड	03-07-66	प्रअ–राउप्रावि गादिया महेश अकलेरा	झालावाड
9	3659	88-98	2018-19	रमण नामदेव		प्रावि उम्मेदपुरा, झा.पा.	झालावाड	01-06-66	प्रअ–राउप्रावि मूण्डला, सुनेल	झालावाड
10	3664	88-98	2018-19	जगदीश लाल मालव		रामावि अर्जुनपुरा, म.थाना	झालावाड	04-06-63	प्रअ–राउप्रावि जूनापानी, म.थाना	झालावाड
11	3666	88-98	2018-19	त्रिलोक चंद मालव		उमावि खेरखेडा, म.थाना	झालावाड	21-06-65	प्रअ–राउप्रावि मालोनी, छीपाबडौद	बारां
12	3667	88-98	2018-19	भगवान दास सोनी		उमावि दांगीपुरा, म.थाना	झालावाड	01-10-65	प्रअ–राउप्रावि कुण्डीबेह, म. थाना	झालावाड
13	3670	88-98	2018-19	राम प्रसाद नागर		उमावि कंवरपुरा, खानपुर	झालावाड	08-07-64	प्रअ–राउप्रावि गोलखेडी, डग	झालावाड
14	3678	88-98	2018-19	विष्णु प्रसाद		राउमावि काचरी,अन्ता	बारां	02-05-64	प्रअ–राउप्रावि निमोदा,के.पाटन	बून्दी
15	3683	88-98	2018-19	गंगा राम गुर्जर		राबाउमावि भवानीमण्डी	झालावाड	15-07-67	प्रअ–राउप्रावि ढाबला,डग	झालावाड
16	1191-I	98-05	2018-19	मूल चन्द मीणा	ST	मावि गंभीरा नैनवां	बून्दी	06-07-65	प्रअ–राबाउप्रावि तलवास, नैनवां	बून्दी
17	1197	98-05	2018-19	रामचरण मीणा	ST	उप्रावि धरावन, के.पाटन	बून्दी	24-02-68	प्रअ–राउप्रावि गोठडा,के.पाटन	बून्दी
18	1564	98-05	2018-19	शम्भूदयाल मेहर	SC	उमावि नाहरगढ, किशनगंज, बारां	बारां	01-04-72	प्रअ–राउप्रावि खेडला, किशनगंज	बारां

(रामस्वरूप) 14.9.18

उपनिदेशक(माध्यमिक)

शिक्षा विभाग,कोटा

कार्यालय उपनिदेशक(माध्यमिक)शिक्षाविभाग,कोटा

–:: कार्यालय–आदेश::–

राजस्थान अधीनस्थ शिक्षा सेवा नियम,1971 के नियम 25 के प्रावधानान्तर्गत गठित विभागीय पदोन्नति समिति **पुनरावलोकन** की अभिशंषानुसार शिड्युल प्रथम के सेक्शन (एफ) द्वितीय वेतन श्रृंखला के **वरिष्ठ अध्यापक (गणित)**के पदो पर संलग्न सूची में अध्यापको को **डीपीसी वर्ष 2018–19** की रिक्तियो के विरूद्ध चयनित किये जाने पर चयनित वर्ष/कार्यग्रहण करने की तिथि से राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम–2017 के अनुसार पे–मेट्रिक्स लेवल–11 में राज्य सरकार के स्वीकृत पदो पर पदोन्नत कर उनके नाम के आगे अंकित विद्यालयो मे पदस्थापित किया जाता है। यदि पाते वेतन पर कार्यरत कार्मिक अपने वर्तमान पदस्थापित स्थान पर ही कार्यरत है तो भी पदोन्नति पर कार्यग्रहण की सूचना आवश्यक रूप से भिजवायी जावे ।

पदोन्नति पर पदस्थापित स्थान पर इन्हे **दिनांक 20.09.2018** तक कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा उक्त दिनांक तक कार्यग्रहण नही करने पर यह आदेश स्वतः ही निरस्त माना जाकर पदोन्नति परित्याग माना जायेगा।

संबंधित संस्था प्रधानो का निर्देशित किया जाता है कि पदोन्नति कार्मिको को निर्धारित तिथि तक पदोन्नति पर कार्यग्रहण करने हेतु यथासमय अनिवार्य रूप से कार्यमुक्त करे । यदि पदोन्नत कार्मिक पदोन्नति ग्रहण नही करना चाहता है तो संबंधित कार्मिक से लिखित में पदोन्नति परित्याग करने का आवेदन पत्र प्राप्त कर अग्रेषण सहित स्थानीय कार्यालय को स्वीकृति हेतु दिनांक 24.09.2018 तक अनिवार्यतः भिजवा दे तथा संबंधित कार्मिक की सेवापुस्तिका में पदोन्नति परित्याग करने का अनिवार्यतः इन्द्राज करें।
1–राज्य सरकार की अधिसूचना कमांक एफ–7(1)/डीओपी/ए–11/95 दिनांक 20.06.01 के प्रावधानानुसार दिनांक 01.06.02 को या उसके पश्चात् दो से अधिक संतान नही होने का स्वप्रमाणित शपथ पत्र प्राप्त करे।
2–आदेश में वर्णित सभी प्रविष्टियो के सत्यापन पश्चात् ही कार्मिक को कार्यमुक्त किया जावे। अन्यथा तत्काल इस कार्यालय को सूचित करे ।

यदि संबंधित कार्मिक के विरूद्व विभागीय जॉच चल रही है/निलम्बित हो /न्यायालय स्थगन से कार्यरत हो तो उनको कार्यमुक्त नही किया जावे, एवं संबंधित नियंत्रण अधिकारी रजिस्टर्ड डाक से इस संबंध में इस कार्यालय को सूचित करेगे । जो कार्मिक बीएलओ नियुक्त है,उन्हे मतदाता सूचियो के पुनरीक्षण कार्यकम की समाप्ति दिनांक 27.09.18 के उपरान्त ही कार्यमुक्त किया जावे।

यह पदोन्नति आदेश एतद् विषयक माननीय उच्च न्यायालय में लम्बित विभिन्न याचिकाओ व डी.बी. सिविल स्पेशल अपील (रिट) 318/16 मे प्रदत्त अंतरिम आदेश व अंतिम निर्णय के अध्यधीन रहेगे ।

संलग्न सूची में अंकित कार्मिको को आदेश तामिल करवाने की समस्त जिम्मेदारी संबंधित संस्था प्रधान/कार्यालयाध्यक्ष की रहेगी। यदि इनका कार्यरत स्थान परिवर्तित हो गया हो तो इनके परिवर्तित /वर्तमान कार्यरत स्थान पर उक्त आदेश तामिल करवाया जावे।

संबंधित संस्थाप्रधान इनकी कार्यमुक्ति/कार्यग्रहण की सूचना तत्काल इस कार्यालय एवॅ संबधित जिशिअ कार्यालय को प्रस्तुत करेंगे ।

(रामस्वरूप)
उपनिदेशक(माध्यमिक)
शिक्षाविभाग,कोटा

कमांकःउनिमाशि/को/डीपीसी–पुनरावलोकन/संस्था–3(20307)2018/406 दिनॉकः 14.09.18

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवॅ आवश्यक कार्यवाही हेतु–

1– सचिव,राजस्थान लोक सेवा आयोग,अजमेर
2– विशिष्ठ सहायक,माननीय शिक्षामंत्री महोदय,राजस्थान,जयपुर
3– निदेशक,माध्यमिक/प्रारंभिक शिक्षा,राजस्थान–बीकानेर
4– आयुक्त राजस्थान माध्यमिक शिक्षा अभियान राज0जयपुर
5– उपनिदेशक ,प्रारंभिक शिक्षा, कोटा
6– जिला शिक्षा अधिकारी(माध्यमिक/प्रारंभिक)कोटा/बून्दी/बॉरा/झालावाड
7– संबंधित ब्लॉक शिक्षा अधिकारी/संस्था प्रधान/संबंधित अध्यापक
8– वरिष्ठता अनुभाग,स्थानीय कार्यालय/रक्षित पत्रावली

उपनिदेशक(माध्यमिक)
शिक्षाविभाग,कोटा

कार्यालय उपनिदेशक (माध्यमिक) शिक्षा विभाग,कोटा

क्रमांक : 406 दिनांक 14.09.2018 विषय : गणित

क्रसं.	मण्डल वरि क्रमांक	अवधि	डीपीसी चयन वर्ष	नाम अध्यापक	वर्ग	वर्तमान पदस्थापन स्थान	जिला	जन्मतिथि	वअ पद पर पदोन्नति पर पदस्थापन स्थान	जिला
1	93.1	2012-13	2018-19	प्रभुदयाल चक्रधारी		उप्रावि महोदरी नाथान किशनगंज	बारां	10-08-76	राउमावि मंडिता,सांगोद	कोटा
2	600	2012-13	2018-19	परमेन्द्र कुमावत		राउप्रावि सालेड़ाकंला खैराबाद	कोटा	01-07-78	राउमावि लखारिया,खैराबाद	कोटा

(रामस्वरूप) 14.9.18

उपनिदेशक(माध्यमिक)

शिक्षा विभाग,कोटा

कार्यालय उपनिदेशक(माध्यमिक)शिक्षाविभाग,कोटा

–:: कार्यालय–आदेश::–

राजस्थान अधीनस्थ शिक्षा सेवा नियम,1971 के नियम 25 के प्रावधानान्तर्गत गठित विभागीय पदोन्नति समिति **पुनरावलोकन** की अभिशंषानुसार शिड्युल प्रथम के सेक्शन (एफ) द्वितीय वेतन श्रृंखला के **वरिष्ठ अध्यापक (विज्ञान)** के पदो पर संलग्न सूची में अध्यापको को **डीपीसी वर्ष 2018–19** की रिक्तियो के विरूद्ध चयनित किये जाने पर चयनित वर्ष/कार्यग्रहण करने की तिथि से राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम–2017 के अनुसार पे–मेट्रिक्स लेवल–11 में राज्य सरकार के स्वीकृत पदो पर पदोन्नत कर उनके नाम के आगे अंकित विद्यालयो मे पदस्थापित किया जाता है। यदि पाते वेतन पर कार्यरत कार्मिक अपने वर्तमान पदस्थापित स्थान पर ही कार्यरत है तो भी पदोन्नति पर कार्यग्रहण की सूचना आवश्यक रूप से भिजवायी जावे ।

पदोन्नति पर पदस्थापित स्थान पर इन्हे **दिनांक 20.09.2018** तक कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा उक्त दिनांक तक कार्यग्रहण नही करने पर यह आदेश स्वतः ही निरस्त माना जाकर पदोन्नति परित्याग माना जायेगा।

संबंधित संस्था प्रधानो का निर्देशित किया जाता है कि पदोन्नति कार्मिको को निर्धारित तिथि तक पदोन्नति पर कार्यग्रहण करने हेतु यथासमय अनिवार्य रूप से कार्यमुक्त करे । यदि पदोन्नत कार्मिक पदोन्नति ग्रहण नही करना चाहता है तो संबंधित कार्मिक से लिखित में पदोन्नति परित्याग करने का आवेदन पत्र प्राप्त कर अग्रेषण सहित स्थानीय कार्यालय को स्वीकृति हेतु दिनांक 24.09.2018 तक अनिवार्यतः भिजवा दे तथा संबंधित कार्मिक की सेवापुस्तिका में पदोन्नति परित्याग करने का अनिवार्यतः इन्द्राज करें।

1–राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ–7(1)/डीओपी/ए–11/95 दिनांक 20.06.01 के प्रावधानानुसार दिनांक 01.06.02 को या उसके पश्चात् दो से अधिक संतान नही होने का स्वप्रमाणित शपथ पत्र प्राप्त करे।

2–आदेश में वर्णित सभी प्रविष्टियो के सत्यापन पश्चात् ही कार्मिक को कार्यमुक्त किया जावे। अन्यथा तत्काल इस कार्यालय को सूचित करे ।

यदि संबंधित कार्मिक के विरूद्व विभागीय जॉच चल रही है/निलम्बित हो /न्यायालय स्थगन से कार्यरत हो तो उनको कार्यमुक्त नही किया जावे, एवं संबंधित नियंत्रण अधिकारी रजिस्टर्ड डाक से इस संबंध में इस कार्यालय को सूचित करेगे । जो कार्मिक बीएलओ नियुक्त है,उन्हे मतदाता सूचियो के पुनरीक्षण कार्यक्रम की समाप्ति दिनांक 27.09.18 के उपरान्त ही कार्यमुक्त किया जावे।

यह पदोन्नति आदेश एतद् विषयक माननीय उच्च न्यायालय में लम्बित विभिन्न याचिकाओ व डी.बी. सिविल स्पेशल अपील (रिट) 318/16 मे प्रदत्त अंतरिम आदेश व अंतिम निर्णय के अध्यधीन रहेगे ।

संलग्न सूची में अंकित कार्मिको को आदेश तामिल करवाने की समस्त जिम्मेदारी संबंधित संस्था प्रधान/कार्यालयाध्यक्ष की रहेगी। यदि इनका कार्यरत स्थान परिवर्तित हो गया हो तो इनके परिवर्तित /वर्तमान कार्यरत स्थान पर उक्त आदेश तामिल करवाया जावे।

संबंधित संस्थाप्रधान इनकी कार्यमुक्ति/कार्यग्रहण की सूचना तत्काल इस कार्यालय एवॅ संबधित जिशिअ कार्यालय को प्रस्तुत करेंगे ।

(रामस्वरूप)
उपनिदेशक(माध्यमिक)
शिक्षाविभाग,कोटा

क्रमांकःउनिमाशि/को/डीपीसी–पुरावलोकन/संस्था–3(20307)2018/405 दिनॉकः 14.09.18

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवॅ आवश्यक कार्यवाही हेतु–

1– सचिव,राजस्थान लोक सेवा आयोग,अजमेर
2– विशिष्ठ सहायक,माननीय शिक्षामंत्री महोदय,राजस्थान,जयपुर
3– निदेशक,माध्यमिक/प्रारंभिक शिक्षा,राजस्थान–बीकानेर
4– आयुक्त राजस्थान माध्यमिक शिक्षा अभियान राज0जयपुर
5– उपनिदेशक ,प्रारंभिक शिक्षा, कोटा
6– जिला शिक्षा अधिकारी(माध्यमिक/प्रारंभिक)कोटा/बून्दी/बॉरा/झालावाड
7– संबंधित ब्लॉक शिक्षा अधिकारी/संस्था प्रधान/संबंधित अध्यापक
8– वरिष्ठता अनुभाग,स्थानीय कार्यालय/रक्षित पत्रावली

उपनिदेशक(माध्यमिक)
शिक्षाविभाग,कोटा

कार्यालय उपनिदेशक (माध्यमिक) शिक्षा विभाग,कोटा

क्रमांक : 405 दिनांक 14.09.2018 विषय : विज्ञान

क्रसं.	मण्डल वरि क्रमांक	अवधि	डीपीसी चयन वर्ष	नाम अध्यापक	वर्ग	वर्तमान पदस्थापन स्थान	जिला	जन्मतिथि	वअ पद पर पदोन्नति पर पदस्थापन स्थान	जिला
1	783	2007-10	2018-19	बह्म प्रकाश नागर		उमावि छीपाबड़ोद	बारां	04-08-82	राउमावि कडैयाबन, छबडा	बारां
2	661A	2012-13	2018-19	प्रतिभा चौहान		उप्रावि खातोली इटावा	कोटा	22-10-84	राबाउमावि खातौली,इटावा	कोटा
3	1035	2012-13	2018-19	मुकेश कुमार सोकरिया		उप्रावि पाडलिया मनोहरथाना	झालावाड़	15-06-88	रामावि बोरदा, इटावा	कोटा
4	1463	2012-13	2018-19	भगवान सिंह		उप्रावि रावां छीपाबडौद	बारां	01-08-86	रामावि कडैयाछत्री, छबडा	बारां
5	1471	2012-13	2018-19	नरेन्द्र कुमार महावर		उप्रावि बरखेड़ी सुनेल झालावाडत्र	झालावाड़	22-06-89	राउमावि तितरखेडी, छबडा	बारां
6	1476	2012-13	2018-19	रतन सिंह		उप्रावि करमाखेड़ी सुनेल.	झालावाड़	05-07-87	रामावि कादर नगर, सुनेल	झालावाड
7	1486	2012-13	2018-19	हंसराज वर्मा		राउप्रावि केसरपुरा,सुनेल	झालावाड़	04-06-83	राउमावि फतेहगढ़, सुनेल	झालावाड

(रामस्वरूप) 14.9.18

उपनिदेशक(माध्यमिक)

शिक्षा विभाग,कोटा